फर्द अहकाम

हनुमान सहाय बनाम नाथूलाल वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 328/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	21/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित अप्रार्थी नं० 1 अनु०। अप्रार्थी नं० 1 को बार-बार आवाज लगायी गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उप० नहीं। अतः अप्रार्थी नं० 1 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थी नं 3 ने जवाब आपत्ति प्रा० पत्र पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी ने आपत्ति का जवाब नहीं देकर लिखित बहस करने का निवेदन किया। वकील उभयपक्ष की बहस आपत्ति व प्रार्थना पत्र धारा 251A पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 22/10/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	22/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जवाब, पैरोकार, जवाब आपत्ति प्रा० पत्र व अन्य दस्तावेजात	

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम [illegible]

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

केस संख्या [illegible] / 2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		के अवलोकन करने एवं वकीलगण पक्षों की बहस को श्रवण करने पर वकील अप्रार्थी सं० 3 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाती है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज० काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जा कर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम के काम हो तकमील बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

(43)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
328/2024	08/08/2024	22/10/2024

– उनवान –

नुमान सहाय पुत्र दूलाराम बलाई आयु 46 वर्ष, निवासी दीपोला, ग्राम मेदराजसिंहपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

ाथूलाल पुत्र नारायण लाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
ाज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।
ूल्या पुत्र गंगाबक्श जाति हरियाणा ब्राहमण, निवासी ग्राम दीपपुरा, तहसील आंधी।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री राजेश कुमार पारीक – वकील प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक के प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर नेवेदन किया कि ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी में भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 1.2700है0 खातेदारी की भूमि स्थित है। जो खातेदारान पूरणमल, भौरी, हुकुमचन्द की खातेदारी भूमि थी, जेसे दिनांक 11.07.2024 को जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड कय कर कब्जा मौके पर प्राप्त कर लिया है और वेधिक रूप से प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार हो गया है। अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 1.2600है0 ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी में स्थित है, जो कि मुख्य सडक डामर रोड खसरा नम्बर 15 एवं 20 से लगती है। खसरा नम्बर 15 एवं 20 डामर रोड से खसरा नम्बर 13 के उत्तर और पश्चिम की सींव से लगता 30 फुट का रास्ता प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 10 में आने–जाने हेतु उपलब्ध है, जिसे संलग्न नजरी नक्शें मौके मे लाल रंग से दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 13 में जो लाल रंग से दर्शित रास्ते की भूमि है उसके उत्तर में खसरा नम्बर 14 गैर खातेदारी की है और खसरा नम्बर 10 और 13 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 9 गैर मुमकिन नाले की भूमि है। उक्त खसरा नम्बर 13 में जो संलग्न नक्शें में लाल रंग से दर्शित स्थान रास्ते की भूमि के रूप में खसरा नम्बर 10 के पूर्व खातेदारों के उपयोग में आ रहा था। वही रास्ता खसरा नम्बर 10 में आने–जाने हेतु काम आ रहा है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 10 में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 1.2700है0 में आने जाने हेतु 30 फीट चौडाई का रास्ता खसरा नम्बर 13 की उत्तरी पश्चिमी सीमा से जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें मौके मे लाल रंग से दर्शाया गया है, प्रार्थी को उपलब्ध करवाते हुये उक्त रास्ता कायम कर उक्त भूमि को खसरा नम्बर 13 से पृथक किया जाकर रास्ते की भूमि दर्ज की जाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधि0 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाकर से तलब किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 अप्रार्थी स0 3 की ओर से दिनांक 29.08.24 को पेश किया। जिस पर सुनवाई की जाकर स्वीकार किया गया तथा संशोधन उनवान पेश किया। अप्रार्थी सं0 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार जाजोरिया ने दिनांक 30.09.24 को वकालतनामा तथा दिनांक 21.10.24 को जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील अप्रार्थी सं0 3 ने जवाब आपत्ति में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 3 गैर खातेदार मूल्या पुत्र गंगाबक्स जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम दीपपुरा तहसील आंधी में खसरा नम्बर 14 रकबा 0.2800है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिस पर अप्रार्थी सं0 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी की गैर खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 0.2800है0 भूमि ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का चावण्डिया तहसील आंधी में स्थित है। जो मुख्य डामर खसरा नम्बर 15 से लगती है जिसके चारों ओर दीवार लगी हुई है। जिसमें से होकर अन्य खसरो के लिए आने जाने के लिए मौके पर कोई रास्ता नही है। प्रार्थी हनुमान सहाय की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 1.2700है0 भूमि के लिए रास्ते हेतु अप्रार्थी सं0 1 नाथूलाल पुत्र नारायण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 1.2600है0 ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का चावण्डिया तहसील आंधी में स्थित है। जो मुख्य सडक डामर रोड खसरा नम्बर 15 एवं 20 से लगती है। तथा सबसे नजदीक कदमी रास्ता भी यही पर पडता है खसरा नम्बर 15 एवं 20 डामर रोड से खसरा नम्बर 13 के उत्तर और पश्चिम की सीमा से लगता 30 फिट का रास्ता प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 10 मे आने जाने हेतु उपलब्ध है। जिसे प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें मौके में लाल रंग से दर्शाया है तथा प्रार्थी ने खसरा नम्बर 10 और 13 के पश्चिम दिशा मे खसरा नम्बर 9 गैर मुमकिन नाले की भूमि बताई है जिसका प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 में स्वयं वर्णित किया है तथा हमारी भूमि से प्रार्थी को कोई संबंध सरोकार नही है। तहसीलदार आंधी ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.08.2024 की जो प्रार्थना पत्र के संबंध में अपने पत्रांक आर.टी./2024/726 की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वह बिना मौके पर जाकर बनाई गई तथा पटवारी हल्का चावण्डिया के कार्यालय में बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर पेश की गई है। जिसमें पटवारी हल्का तथा प्रार्थी ने मुझ अप्रार्थी सं0 3 को नुकसान पहुचाने के लिए मेरी भूमि खसरा नम्बर 14 में किसी प्रकार का रास्ता नही है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है के मौके पर खसरा नम्बर 13 ही मुख्य सडक के खसरा नम्बर 15 व 20 के लगवा है। जो नजदीक ही कदमी रास्ते के लिये उपलब्ध है तथा तहसीलदार ने जो नक्शा रिपोर्ट पेश की है उसमें हमारे खेत के दो टुकडे कर दिये गये है जिससे खसरा नम्बर 9 गैर मुमकीन नाले के पास वाली हमारी भूमि कोई काम की नही रही है। इसलिए तहसीलदार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को खारिज कर पुनः मौका रिपोर्अ मंगवाई जावें तथा जवाब आपत्ति स्वीकार कर खसरा नम्बर 14 मे से होकर किसी प्रकार कोई रास्ता कायम नही किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी सं0 2 (पैरोकार सरकार) ने अपना जवाब पत्रांकः आर.टी./2024/726 दिनांक 27.08.24 द्वारा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 10 रकबा 1.27है0 किस्म बारानी 3 हनुमान सहाय पुत्र दुलाराम हिस्सा पूर्ण जाति बलाई ढाणी दिपोला ग्राम मेधराजसिहपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर खातेदार राजस्व रिकार्ड है। ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 10 मे आवागमन हेतु खसरा नम्बर 15 रकबा 0.10है0 किस्म गै0मु0रास्ता मे से खसरा नम्बर 14 रकबा 0.28है0 किस्म बारानी 3 व खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26है0 किस्म बारानी 3 में से होकर खसरा नम्बर 10 का रास्ता काम मे आ रहा है। खसरा नम्बर 14 रकबा 0.28है0 में से 55 मीटर लम्बा 10 मीटर चौडा (550 मीटर) व खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26है0 में से 75 मीटर लम्बा 10 मीटर चौडा (750 मीटर) रास्ते के रूप में काम आ रहा है। खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26है0 किस्म बारानी 3 नाथूलाल पुत्र नारायण लाल हिस्सा पूर्ण जाति धोबी सा0देह कानोता तहसील बस्सी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 14 रकबा 0.28है0 किस्म बारानी 3 मूल्या पुत्र गंगाबक्श हिस्सा पूर्ण जाति हरियाणा ब्राहमण सा0देह गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

अप्रार्थी सं0 1 को तलबी रजि0 डाक से करवाई जाने बावजूद भी उपस्थित नही। अप्रार्थी सं0 1 को बार –बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही है। अतः अप्रार्थी सं0

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(5/3)

1 के विरूद्व दिनांक 21.10.2024 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील उभय पक्षों की बहस जवाब आपत्ति व प्रार्थना पत्र धारा 251 ए पर सुनी गई।

अतः बहस वकील उभय पक्षों की सुनने व पैरोकार सरकार का जवाब व पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थी के जवाब आपत्ति का अवलोकन करने पर अप्रार्थी सं0 3 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम दीपपुरा, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 1.27है0 किस्म बारानी 3 मे आवागमन हेतु खसरा नम्बर 15 रकबा 0.10है0 किस्म गै0मु0रास्ता से खसरा नम्बर 14 रकबा 0.28है0 की पश्चिमी सीमा से लगता हुआ 20 फिट चौडा एवं खसरा नम्बर 13 रकबा 1.26है0 के पश्चिमी सीमा से लगते हुए 75 मीटर लम्बा व 20 फिट चौडा रास्ते के रूप में भूमि को गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर अमल करे एवं उक्तानुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करे, रास्ते की भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 राशि से गणना कर दोगुना राशि अप्रार्थी सं0 1 व 3 को दिलवाई जाने के उपरान्त अप्रार्थी स0 1 व 3 के राजस्व नक्शे मे उक्तानुसार किस्म गै.मु. रास्ता कायम किया जावें। नक्शा दुरूस्त कर उक्तानुसार रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 22.10.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़